

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/ 2973
चार-12-14/80 भाग सात-जे

जबलपुर, दिनांक 22/04/2025

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ने अपने पृष्ठांकन क्रमांक एफ-4-1/2025/नियम/चार भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025 की प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....(समस्त), म.प्र.,
4. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय.....(समस्त) म.प्र.,
6. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ओ.एस.डी.(लेखा).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक-1/2/डी.ई./आई.टी./सतर्कता/आई.एल./ एकजाम, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार कम पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. मेम्बर सेकेटरी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा समिति जबलपुर, म.प्र.,
12. मेम्बर सेकेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम.)(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
17. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
18. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेकेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
19. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, महोदय के सेकेटरी टू द जेजस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
20. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
21. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
22. सहायक स्थापना/अवकाश/सैट/लेखा/बजट/पेंशन/अवकाश (राजपत्रित) ,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
23. सहायक वेतन पत्रक की ओर इस निर्देश के साथ कि रजिस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित दर पर किये जाने संबंधी कार्यवाही करने हेतु।
की ओर रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक डी/4756/चार-12-14/80 भाग-सात जबलपुर,
दिनांक 06/09/2012 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2025/नियम / चार

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
 समस्त संभागीय आयुक्त,
 समस्त विभागाध्यक्ष,
 समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11-12/2010/नियम/चार दिनांक 01 सितम्बर 2012

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया है -

क्र.	शहर / कस्बे की श्रेणी	गृह भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर (प्रतिशत)
1	2	3
1	7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%
2	3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7%
3.	3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5%

2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

3/ निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।


(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त ।

4/ गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्त पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

5/ उपरोक्तानुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(पी.के.श्रीयोस्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पृ. क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार

प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल

15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
31. गार्ड फाईल ।


(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग